# Meaning and sources of Law

राज्य का स्वरूप मानव कल्याण है और यह तभी संभव है, जब राज्य के नागरिक अपने जीवन में आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। अतः कानून मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किये जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है।

यद्यपि आजकल अधिकांश कानून संसद द्वारा बनाये जाते हैं, परन्तु कानूनों की उत्पत्ति का केवल यही एक स्रोत नहीं है, बल्कि कानूनों के निम्नलिखित स्रोत हैं -

(1) रीति-रिवाज - रीति-रिवाज कानून का प्राचीनतम तथा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति-रिवाज का निर्माण नहीं होता, वरन धीरे-धीरे उनका विकास होता है। ये समाज के वे प्रचलित नियम होते हैं, जिन्हें समाज के सभी लोग लम्बे समय से मानते चले आ रहे हैं। इन रीति-रिवाजों के पीछे सामाजिक संगठन का नियंत्रण तथा समाज का नैतिक बल रहता है। जब ये समाज में अधिक प्रचलित हो जाते हैं तब राज्य इन्हें कानून का रूप दे देता है। भारत में 'स्मृतियाँ' और इंग्लैंड में 'कॉमन लॉ' इसी स्रोत की देन हैं।

(2) धर्म (Religion) - कानून के विकास में परम्परा की भाँति धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीनकाल

Scanned with CamScanner

में धर्म का लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव था। ईश्वर को समस्त सत्ता और कानून का उद्गम माना जाता था। धर्म का मुखिया धर्म का सबसे बड़ा पुरोहित भी समझा जाता था। प्राचीनकाल में प्रत्येक राजा शासन चलाने के लिए अपने धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार कानून बना लेता था। मुस्लिम बादशाहों ने अपने कानून अपनी धार्मिक पुस्तक 'कुरान' के अनुसार ही अधिकतर बनाए। आज भी हिन्दुओं का कानून मनु की व्यवस्था के आधार पर और इस्लामी कानून शरीअत के आधार पर टिका हुआ है।

③ न्यायालयों के निर्णय - कई बार न्यायधीशों के पास ऐसे मुकदमें आ जाते हैं जिनमें कानून का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। वहां दोनों पक्षों के वकील कानून का अर्थ अपने-अपने पक्ष के हित में निकालते हैं। अतः विवादपूर्ण मुकदमों में हाईकोर्ट के न्यायधीशों को अपने फैसले देने पड़ते हैं। उनके फैसले प्रमाणिक समझे जाते हैं। बाद भविष्य में फिर पहले जैसा ही कोई विवाद किसी न्यायधीश के सामने आ जाए तो वकील अपने पक्ष को बल देने के लिए उन फैसलों का हवाला देते हैं। इस तरह से कोर्ट के फैसले कुछ हद तक एक प्रकार से कानून की भांति प्रयोग किए जाते हैं।

④ न्यायधीशों की न्याय भावना - कई बार न्यायधीशों के सामने ऐसे मुकदमे आ जाते हैं, जिनके बारे में कानून बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डालता। इस दशा में न्यायधीशों को अपनी न्याय भावना,

बुद्धि और युद्ध स्थल की कौशलो देते आते हैं। ब्रिटेन में कॉमन लॉ काफी अपूर्ण था। इसलिए वहाँ पर बहुत कानून न्यायाधीशों की न्याय-भावना के अनुसार दिये हुए फैसलों के आधार पर ही बना है।

(5) कानूनी टीकाएँ - प्रत्येक देश में कानून के प्रसिद्ध ज्ञाता कानूनों के अर्थ को स्पष्ट करने और समझने के लिए कानूनों की व्याख्या करते हैं। इनके द्वारा लिखी पुस्तकों पर टीकाएँ लिखते हैं। इनसे साधारण व्यक्ति को कानून समझने में काफी आसानी हो जाती है। इन टीकाओं में कानून को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। इस प्रकार कानूनी टीकाएँ द्वारा कानून का विस्तार होता है।

(6) विधानमंडल - विधानमंडल कानून का सबसे अधिक आधुनिक और महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीनकाल विधानमंडल का कार्य राजा अथवा उसके कुछ चुने-चुने लोगों द्वारा होता था और एक समय सम्पूर्ण जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापन भी किया जाता था। किन्तु आज लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापन का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। व्यवहार में प्रत्येक देश में सभी कानून विधानमंडल (संसद) द्वारा बनाये जाते हैं और व्यवस्थापन कानून के प्रमुख एक मात्र स्रोत का रूप धारण करता जा रहा है।

यद्यपि आज कानून के प्राचीनक स्रोतों का महत्व कम हो गया है, किन्तु आज भी ये व्यवस्थापक की शक्ति पर अंकुश रखने का कार्य करते हैं।